



No. RSGSM/HO/A&P/Estt./\6832

दिनांक : 03/11/2025

—: विज्ञप्ति (सूचना) ::—

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित करने बाबत।

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड राजस्थान सरकार का उपक्रम है। इसका मुख्यालय जयपुर में है एवं सम्पूर्ण राज्य में इसके मदिरालय संचालित हैं। संस्थान के मुख्यालय एवं मदिरालय हेतु निम्न पदों पर अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने हेतु केन्द्र/राज्य सरकार एवं इनके राजकीय उपक्रम/बोर्ड इत्यादि के सेवारत अधिकारी/कर्मचारियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। वर्तमान में रिक्तियों व पदस्थापन का विवरण एवं पदों की आवश्यक योग्यताओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	पद का नाम	रिक्त पद	वर्तमान मूल पद का पे-बैंड एवं वेतन श्रृंखला	योग्यता	पदस्थापन स्थल
1.	मदिरालय प्रभारी	07	(L-11)	केन्द्र सरकार / राज्य सरकार/केन्द्र/राज्य सरकार के उपक्रम के अधिकारी जिनकी न्यूनतम ग्रेड पे -4200 एवं मैट्रिक्स लेवल -11 या उससे अधिक हो एवं न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव अनिवार्य	संस्थान के मदिरालयों पर
2.	सिविल अभियन्ता	01	(L-10)	केन्द्र सरकार / राज्य सरकार/केन्द्र/राज्य सरकार के उपक्रम के सिविल अभियन्ता (AEN/JEN) जिनकी न्यूनतम ग्रेड पे - 3600 एवं मैट्रिक्स लेवल - 10 या उससे अधिक हो एवं न्यूनतम 3 वर्ष के सिविल कार्य का अनुभव अनिवार्य	मुख्यालय जयपुर
3.	उप प्रबन्धक (लेखा)	05	(L-12)	केन्द्र सरकार / राज्य सरकार/केन्द्र/राज्य सरकार के उपक्रम के लेखा कर्मचारी जिनकी न्यूनतम ग्रेड पे - 4800 एवं मैट्रिक्स लेवल - 12 या उससे अधिक हो एवं न्यूनतम 3 वर्ष के लेखा कार्य का अनुभव अनिवार्य	मुख्यालय जयपुर
4.	उप प्रबन्धक (लीगल)	01	(L-12)	केन्द्र सरकार / राज्य सरकार/केन्द्र/राज्य सरकार के उपक्रम के विधि अधिकारी जिनकी न्यूनतम ग्रेड पे -4800 एवं मैट्रिक्स लेवल -12 या उससे अधिक हो एवं न्यूनतम 3 वर्ष के विधिकार्य का अनुभव अनिवार्य	मुख्यालय जयपुर
5.	सहायक प्रबन्धक- II/लीगल	01	(L-10)	केन्द्र सरकार / राज्य सरकार/केन्द्र/राज्य सरकार के उपक्रम के विधि कर्मचारी जिनकी न्यूनतम ग्रेड पे - 3600 एवं मैट्रिक्स लेवल - 10 या उससे अधिक हो एवं न्यूनतम 3 वर्ष के विधिकार्य का अनुभव अनिवार्य	मुख्यालय जयपुर

सामान्य शर्तें :-

1. जो कार्मिक अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करेंगे उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी।
2. कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. कम्प्यूटर एवं डबल एन्ट्री सिस्टम की सामान्य जानकारी रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी।
4. कार्मिक के विरुद्ध किसी प्रकार का फौजदारी मुकदमा/विभागीय जाँच लंबित नहीं होनी चाहिए।
5. विज्ञप्ति में अंकित रिक्त पदों की स्थिति तत्समय के रिक्त पदों के अनुरूप कम या अधिक हो सकती है।



RAJASTHAN STATE GANGANAGAR SUGAR MILLS LTD.

3rd Floor, Center of Excellence for Revenue Research & Analysis

Jhalana Doongari, Jaipur-302004

CIN:U15421RJ1945SGC000285



6. केंद्र/राज्य सरकार एवं इनके राजकीय उपक्रम/बोर्ड इत्यादि के कार्मिक ही प्रतिनियुक्त हेतु पात्र होंगे।
7. चिकित्सा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. प्रतिनियुक्ति पर चयन का सर्वाधिकार प्रभारी संचालक आरएसजीएसएम का रहेगा।
9. अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए कार्यालय समय में मुख्यालय पर सम्पर्क किया जा सकता है।

विशेष शर्तें :-

1. नियमित/स्थाई कार्मिक ही आवेदन करें।
2. चयनित कार्मिकों की सेवायें संतोषजनक होनी चाहिये।
3. कार्मिक को सीसीए नियमों, संबंधित विभाग के प्रचलित अथवा अन्य विभागीय अनुशासनात्मक नियमों के अंतर्गत सेवाकाल में दण्डित नहीं किया गया हो तथा कार्मिक के विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन नहीं होनी चाहिये।
4. चयनित कार्मिक के पैतृक विभाग से सक्षम स्तर से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के उपरान्त ही संस्थान में कार्यग्रहण के पात्र होंगे।

(अनुपम कायल)
महाप्रबंधक





आवेदन पत्र

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने हेतु आवेदन -पत्र

1. नाम: 2. जन्म तिथि.....
3. पिता/पति का नाम श्री
4. पैतृक विभाग का नाम एवं पता.....
5. वर्तमान में पदस्थापित विभाग का नाम एवं पता
6. नियमित नियुक्ति की दिनांक सेवा निवृत्ति तिथि (विभाग/निगम/बोर्ड अनुसार)
7. शैक्षणिक योग्यता (सेवा रिकार्ड के अनुसार)
8. प्रतिनियुक्ति पर वांछित पद
9. आर.एस.जी.एस.एम.एल. में पूर्व में कार्यरत रहने का विवरण दिनांक से तक
स्थान
10. सेवा के दौरान अनुशासनिक कार्यवाही का विवरण (अ) निर्णित (ब) विचाराधीन
11. वर्तमान में प्राप्त वेतनमान..... ग्रेड प/लेवल..... कुल वेतन.....
(चयनित वेतनमान/ACP द्वारा)
12. वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम एवं पता
13. वर्तमान कार्यालय में धारित पद
14. कार्यालय का फोन नम्बर..... निवास फोन नम्बर..... मो0न0.....
15. ई-मेल
16. निगम में प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदित पद पदस्थापन हेतु प्राथमिकता (जिला) 1
2
3
17. कम्प्यूटर का अनुभव-हाँ/नहीं.....
18. डबल-एन्ट्री की जानकारी हाँ/नहीं.....
19. मेरे द्वारा दिया गया उक्तानुसार विवरण सही एवं संतुष्ट हैं। इसमें किसी भी प्रकार की गलती हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा। गलत तथ्य अंकित करने पर निगम में मेरी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर पैतृक विभाग को कार्यमुक्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।
स्थान:
दिनांक:
निर्गमित संख्या..... दिनांक

कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित
नाम, पद मय सील

आवेदक का नाम/पद
कार्यालय.....



अनुलग्नक-‘क’

सामान्य शर्तें :-

1. जो कार्मिक अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करेंगे उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी।
2. कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. कम्प्यूटर एवं डबल एन्ट्री सिस्टम की सामान्य जानकारी रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी।
4. कार्मिक के विरुद्ध किसी प्रकार का फौजदारी मुकदमा/विभागीय जाँच लंबित नहीं होनी चाहिए।
5. विज्ञप्ति में अंकित रिक्त पदों की स्थिति तत्समय के रिक्त पदों के अनुरूप कम या अधिक हो सकती है।
6. संस्थान में पूर्व में पदस्थापित रह चुके कार्मिकों की निगम में उक्त पदों पर पुनः प्रतिनियुक्ति/परचयन एक वर्ष की गेप अवधि के पश्चात् किया जावेगा।
7. यदि किसी आवेदक की पूर्व में संस्थान में पदस्थापन के दौरान हुई शिकायत पर कोई कार्यवाही की गई हो या अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई हो तो उसके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
8. केंद्र/राज्य सरकार एवं इनके राजकीय उपक्रम/बोर्ड इत्यादि के कार्मिक ही प्रतिनियुक्त हेतु पात्र होंगे।
9. चिकित्सा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एवं शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए कार्यालय समय में मुख्यालय पर सम्पर्क किया जा सकता है।
11. प्रतिनियुक्ति पर चयन का सर्वाधिकार प्रभारी संचालक आरएसजीएसएम का रहेगा।
12. शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को गैर शैक्षणिक गतिविधियों में नियोजन पर रोक होने के कारण शिक्षकगण आवेदन न करें।
13. कार्मिक को राजस्थान सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत सेवाकाल में दण्डित नहीं किया गया हो तथा कार्मिक के विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन नहीं होनी चाहिये।
14. चयनित कार्मिक के पैतृक विभाग से सक्षम स्तर पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के उपरांत ही संस्थान में कार्यग्रहण के पात्र होंगे।
15. चयन सूची जारी होने के 15 दिवस के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा चयन निरस्त किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर आवेदक



अनुलग्नक-‘ख’

पैतृक विभाग द्वारा अग्रेषित करने सम्बन्धी विवरण:

- (i) मूल आवेदन-पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री पद.....का पैतृक विभाग.....है।
- (ii) ये वर्तमान मेंपद पर कार्यरत है। श्रीका वेतनमान.....व ग्रेड पे.....हैं।
- (iii) श्री.....के पिछले सात वर्षों में राज0सी0सी0ए0 नियमों के तहत दण्डित नहीं किये गये हैं।
- (iv) इनके विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण बकाया नहीं है।
- (v) इनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।
- (vi) इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की वसूली/गबन की जाँच बकाया नहीं है।
- (vii) गत सात वर्ष का सेवा-रिकार्ड सन्तोषजनक है।
- (viii) ये विभागीय/राजकीय नियमों के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के लिये पात्र है।
- (ix) श्री पूर्व में RSGSM में कभी कार्यरत नहीं रहे हैं।

अथवा

- श्रीदिनांकसे दिनांक.....तक RSGSM में कार्यरत रहे हैं।
- (x) यदि श्री.....को निगम द्वारा प्रतिनियुक्ति पर चयनित किया जाता है, तो इन्हें विभाग कार्यमुक्त कर देगा। अलग से अनापत्ति/सहमति पत्र की आवश्यकता नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षर कर्ता इन्हें प्रतिनियुक्ति पर भेजने हेतु सक्षम अधिकारी है।

निर्गमित संख्या.....दिनांक

हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष/नियोक्ता अधिकारी
कार्यालय सील